RNI UPBIL/2009/28555 ISSN 0975-2579

वर्ष 9, अंक 2, दिसम्बर 2017 एवं
वर्ष 10, अंक 1 व 2, जून व दिसम्बर 2018
(संयुक्तांक)

शिक्षा कलश

समकक्षीय समीक्षित अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका

SHIKSHA KALASH

Peer Reviewed Half Yearly Research Journal

डॉ॰ विपिन कुमार सिंह
सम्पादक

डॉ॰ भानु प्रताप सिंह
प्रधान सम्पादक

प्रतिभा सिंह
सह–सम्पादक

पवन कुमार गुप्ता
सह–सम्पादक

विमला शिक्षा एवं सेवा समिति, नेवादा-बल्दीराय, सुल्तानपुर (उ॰प्र॰) के सहयोग से प्रकाशित

Scanned with Oken Scanner

हमारे लेखक

डॉ॰ धर्मेन्द्र कुमार सिंह	ग्राम–बरदिया लोहार, पोस्ट–सूदीपुर, जनपद–बस्ती, उ॰प्र॰
सतीश कुमार	शोधछात्र, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास
हरिश्चन्द्र	शोधछात्र, संस्कृत विभाग, डॉ राम मनोहर लोहिया अवध वि॰वि॰, फैजाबाद (उ॰प्र॰)
सुनील कुमार ठाकुरः	अनुसन्धाता, शिक्षाविभागः, राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपतिः
कंचन यति	शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
डॉ॰ आर॰डी॰ पाण्डेय	सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
डॉ॰ आशा शर्मा	विभागाध्यक्ष, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय वि॰वि॰, चित्रकूट, मध्य प्रदेश
सत्येन्द्र कुमार तिवारी	सहायक प्राध्यापक, श्रीनारायण शर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बरियारपुर, बनकट, मोतिहारी, पू॰च॰, बिहार
डॉ॰ विजय कुमार गुप्ता	श्री नरायन शर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बनकट, बरियापुर, मोतिहारी (बिहार)
डॉ॰ प्रतिमा सिंह	एसोशिऐट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, का॰सु॰ साकेत महाविद्यालय, अयोध्या, फैजाबाद (उ॰प्र॰)
डॉ॰ सुजय श्रीवास्तव	असि॰प्रो॰, बी॰एड॰ विभाग, आर॰एल॰एन॰ रामेश्वर लक्ष्मी महत्व टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, समस्तीपुर, बिहार।
डॉ॰ सीमा पाण्डेय	केवला सुन्दर महाविद्यालय, साथीपार, गोरखपुर
डॉ॰ वृजनाथ सिंह	गोरखपुर (उ.प्र.)
डॉ॰ सिंधु कुमारी	बी॰आर॰ए॰बी॰यू॰ छाता चौक, मुजफ्फरपुर।
डॉ॰ अशोक मणि त्रिपाठी	अध्यक्ष, हिन्दी विभाग राजीव गांधी शिक्षा महाविद्यालय, चैसिया, लक्ष्मीपुर, महाराजगंज
वीरेन्द्र कुमार शर्मा	ग्राम–पाना का पुरवा (मधुपुर), पोस्ट–रैथुवा, जिला–अयोध्या (उ॰प्र॰)
प्रतिमा सिंह	शोध छात्रा, शिक्षा शास्त्र विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश
प्रो॰ पी॰एन॰ मिश्र	गवर्नमेन्ट कालेज ऑफ एजूकेशन, रीवा, मध्य प्रदेश
डॉ॰ विनय कुमार	सहायक प्राध्यापक, शिक्षा संकाय, ल॰ना॰ मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेश मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर।
Dr. Omparkash	Geeta College of Education, Nimbari, Panipat, Haryana
Yogesh Madan	Reasearch Scolar, DBHPS, Madras

Scanned with Oken Scanner

वर्ष 9, अंक 2, दिसम्बर 2017 एवं
वर्ष 10, अंक 1 व 2, जून व दिसम्बर 2018 (संयुक्तांक)
पृष्ठ 70–78

RNI UPBIL/2009/28555
ISSN 0975-2579

महात्मा गाँधी एवं गिजुभाई बधेका के शैक्षिक दर्शन की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता

*प्रतिभा सिंह
**प्रो॰ पी॰एन॰ मिश्र

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व राजनैतिक संरचना में कोई भी राष्ट्र अपनी शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण से विमुख नहीं हो सकता। वस्तुतः शिक्षा को सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति के सशक्त साधन के रूप में होना चाहिए। शिक्षा में निरन्तर सुधार एवं परिवर्तन न लाना उसे उन रूढ़ियों एवं परम्पराओं में बाँध देना है, जिसकी जीवन में कोई प्रासंगिकता न हो। अतः शिक्षा को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु उसमें अपेक्षित उद्देश्यों को स्थान प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने वाली एक प्रक्रिया के रूप में प्रतिस्थापित हो सके। निश्चित रूप में गांधी एवं बधेका ने अन्याय विसंगतियों का डटकर सामना किया और उसका आधार शिक्षा को बनाया। इसलिए बापू की गणना राष्ट्र के श्रेष्ठतम् महापुरूषों में की जाती है।

प्रत्येक समाज में शिक्षा, सृजन एवं शक्ति का पुंज होती है। यह समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, परिवर्तन, व्यक्तित्व निर्माण, मानव संसाधन के सृजन का महत्वपूर्ण उपादान और सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है। शिक्षा व्यक्ति में आलोचना एवं विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वहीं व्यक्ति सर्वांगीण विकास कर सकता है जो शिक्षा के द्व ारा अन्तःदृष्टि एवं आत्म विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित कर लिया हो। आज की वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा का स्तर दिन–प्रदिन गिरता जा रहा है। आज की शिक्षा व्यवस्था अर्थहीन हो गयी है। आज 21वीं सदी में शिक्षा का अर्थ मात्र डिग्री प्राप्त कर लेना है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था में समाज तथा राष्ट्र का विकास करना असम्भव है। ऐसे में महात्मा गांधी एवं गिजुभाई बधेका के शिक्षा सम्बन्धी विचार आज भी प्रासंगिक लगते है। शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए महात्मा गांधी लिखते हैं कि– शिक्षा से मेरा तात्पर्य– 'बालक या व्यक्ति के मन, शरीर, हृदय और आत्मा के सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास से है।'' अतः आज की अर्थहीन शिक्षा व्यवस्था में गांधी एवं बधेका द्वारा बतायी गयी शिक्षा की संकल्पना की महती आवश्यकता का सहज ही अन्दाजा लगाया जा सकता है। अर्थात यदि हम अपने राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं तो गांधी एवं बधेका की शिक्षा की संकल्पना तैयार करना होगा जिसका आज अभाव है।

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र की सफलता वहाँ के नागरिकों पर निर्भर करती है। अतः आज यह आवश्यक हो गया है कि हम शिक्षा का ऐसा उद्देश्य निर्धारित करें जिससे व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। राष्ट्र की इन आश्वयकताओं की पूर्ति निःसन्देह शिक्षा द्वारा ही हो सकती है और सारी शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला प्राथमिक शिक्षा है। अतः यह आवश्यक है कि हम प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप करें। परन्तु

* शोध छात्रा, शिक्षा शास्त्र विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश
** गवर्नमेन्ट कालेज ऑफ एजूकेशन, रीवा, मध्य प्रदेश

Scanned with Oken Scanner

बड़े दुःख की बात है कि आज की शिक्षा व्यवस्था निरूद्देश्य हो गयी है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अस्पष्ट उद्देश्यों के चलते सारी शिक्षा व्यवस्था डावाडोंल होती नजर आ रही है। आज की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य मात्र डिग्री धारण करना और नौकरी प्राप्त करना हो गया है। चारित्रिक एवं नैतिक गुणों का निरन्तर ह्रास हो रहा है। ऐसे में व्यवहार तथा विचार में एकरूप महात्मा गांधी एवं बधेका ने शिक्षा का एक प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, जिसे अपनाना प्रासंगिक होगा। महात्मा गांधी ने शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किया है– बालक का सर्वांगीण विकास करना, राष्ट्रीयता की उच्च भावना का विकास, भारतीय संस्कृति विकसित करना, शोषण रहित समाज की स्थापना करना, सत्य अहिंसा एवं सद्भाव की भावना व्यक्ति में परिलक्षित करना, स्वस्थ रहकर निष्कपट जीवन व्यतीत करना, स्वज्ञान तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, हस्तकौशल द्वारा जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता उत्पन्न करना, तथा आत्मनिर्भर बनाना, सामाजिक वर्ग–भेद का उन्मूलन कर प्रेम एवं सहयोग पर आधारित जनतंत्र पद्धति को सफल बनाना, क्रिया प्रधान शिक्षा के माध्यम से श्रम के महत्व को समझना, विद्यालय घर और समाज के जीवन में सामंजस्य स्थापित करना। बधेका ने भी शिक्षा के उद्देश्यों में बौद्धिक उद्देश्य, शारीरिक उद्देश्य, शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, श्रेष्ठ नागरिक भविष्य का विकास को सम्मिलित किया। गांधीजी एवं बधेका द्वारा बताए गए उपरोक्त उद्देश्यों को प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में लागू किया जाय तो निःसन्देह भारत में स्वस्थ नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। अतः इस दृष्टि से भी गांधी एवं बधेका का शिक्षा दर्शन आज अत्यधिक प्रासंगिक लगता है।

पाठ्यक्रम उन सभी क्रिया–कलापों का समूह होता है जिन्हें अध्यापक तथा छात्र एक साथ मिलकर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोजित करते हैं। आज की वर्तमान प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले कम बच्चों के बस्तों के बोझ को बढ़ाने वाले अधिक हैं। प्राथमिक शिक्षा कें सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, वातावरण अध्ययन आदि विषयों के पाठ्यक्रम आज भी विभेदित पाठ्यक्रम के रूप में है न कि समेकित पाठ्यक्रम के रूप में। इसके अतिरिक्त वर्तमान पाठ्यक्रम अत्यधिक कठोर होने के कारण पुस्तकीय एवं रटने की आवश्यकता पर अत्यधिक बल देता है जिससे कि बालकों का सर्वांगीण विकास एवं मौलिकता समाप्त हो जाती है। गांधी एवं बधेका शिक्षा में अत्यधिक पाठ्य–पुस्तकों के सर्वथा विरोधी थे, उनका मानना था कि बालक का वास्तविक पाठ्य–पुस्तक तो उसका अध्यापक होता है। इसी सम्बन्ध में गाँधी जी लिखते हैं कि "अगर मैं शिक्षकों को समझ सकूँ तो प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्य–पुस्तकों का गुलाम बनाकर अन्त में गरीब हिन्दुस्तान पर अनावश्यक पुस्तकों को खरीदने का बेकार बोझ बढ़ाते हैं। इस प्रकार अत्यधिक पाठ्य–पुस्तकों से बालक की मौलिकता समाप्त हो जाती है। महात्मा जी के ये विचार आज अत्यन्त ही प्रासंगिक है क्योंकि पुस्तकों को कम रखने से बच्चों के ऊपर जो अनावश्यक बोझपड़ता है उससे तो बचा ही जा सकता है साथ ही अनावश्यक पाठ्य–पुस्तकों पर व्यय किये जाने वाले आर्थिक बोझ को भी कम किया जा सकता है।

प्राथमिक विद्यालयों में आज भी शिक्षण विधि एक चुनौती के रूप में सामने खड़ी है। आज भी प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक पठन–विधि व व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाई जाती है "आओ करके सीखें" की पाठ्यचर्याओं को "पढ़कर या सुनकर समझो" की भावना से पढ़ाकर शिक्षक विषय की आत्मा की हत्या कर देते हैं। ऐसी शिक्षण विधि से बालकों का अधिगम स्तर उच्च होने के बजाय विषय–वस्तु और भी कठिन हो जाती है, तथा बालकों में रटने एवं प्रत्याशित उत्तरों को याद कर लेने की विधि को बढ़ावा मिल रहा है जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में एक चुनौती बनती जा रही है। यदि हमें इस चुनौती का समाधान ढूँढना है तो निःसन्देह गांधी जी द्वारा बतायी गयी क्रिया प्रधान शिक्षण विधि को अपनाना होगा। महात्मा गांधी एवं बधेका ने अपने शिक्षण–विधि को मनोवैज्ञानिक आधारों पर विकसित किया था। महात्मा गांधी के अनुसार "करके सीखना और स्वयं के अनुभव से सीखना" ही उत्तम सीखना होता है। महात्मा गांधी ने रचनात्मक विधि, खेल–खेल में सीखना इत्यादि विधियों को बच्चों के रूचि के अनुरूप विकसित किया था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने अनुभव विधि द्वारा शिक्षण, अनुकरण विधि द्वारा, सहसम्बन्ध विधि द्वारा शिक्षण, मनन, चिन्तन तथा स्वाध्याय विधि द्वारा शिक्षण देने के पक्षधर रहे। बधेका का मत था कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए व्यक्ति को उन लोगों के मनोविज्ञान

Scanned with Oken Scanner

की जानकारी होनी चाहिए जिनसे उसे सरोकार पड़ता है। अतएवं बधेका ने मनोवैज्ञानिक पद्धतियों को अधिक महत्व दिया। आज यदि प्राथमिक शिक्षा में इन विधियों द्वारा शिक्षण किया जाय तो निःसन्देह प्राथमिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

आज की प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों पर विचार करना भी अति आवश्यक है क्योंकि शिक्षक ही शिक्षा का मुख्य बिन्दु होता है। 21वीं सदी की वर्तमान स्थिति में शिक्षकों का स्तर भी गिरता जा रहा है। शिक्षक, शिक्षण कार्य को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे हैं न कि सेवा भाव के रूप में। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षण कार्य को छोड़कर अन्य व्यवसायों में लगे रहते हैं। शिक्षकों का चारित्रिक एवं नैतिक स्तर भी दिन–प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जबकि महात्मा गांधी एवं बधेका अध्यापकों को विशेष गुणों से युक्त होना आवश्यक मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षकों को चरित्रवान, क्षमाशील, मृदुभाषी, मिलनसार, कर्तव्य परायण, विनोद प्रिय तथा श्रमी होना चाहिए। उनके अनुसार शिक्षकों को अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता तथा उसमें बालकों की रूचियों, क्षमताओं, चिन्ताओं, मनोभावों आदि को परखने की क्षमता होनी चाहिए। गांधी एवं बधेका के अनुसार अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ स्नेह एवं प्रेम का व्यवहार करना चाहिए जिससे छात्र उनपर विश्वास कर सकें। गांधीजी ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक की भूमिका एक मित्र, सहायक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार किया है। गांधी जी बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति पर बल देते थे जिसमें स्वदेश प्रेम, स्वार्थ त्याग की भावना, कुछ अच्छे–अच्छे संस्कार एवं दस्तकारी का ज्ञान हो। विद्यालयों में उन्हीं अध्यापकों की नियुक्ति हो जो उसी क्षेत्र के निवासी हो जहाँ पर विद्यालय स्थापित है। गांधीजी के अनुसार शिक्षकों को अपना कार्य इस प्रकार सम्पादित करना चाहिए, जिससे अनुकूल भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न हो जाय अर्थात छात्र स्वयं सीखने के लिए तैयार हो जाय। गांधी जी पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक प्रोत्साहन देना चाहते थे तथा उनकी अधिक संख्या में नियुक्ति भी करना चाहते थे। अतः गांधी एवं बधेका द्वारा बताए गए उपरोक्त गुणों से युक्त शिक्षकों की नियुक्ति यदि प्राथमिक विद्यालयों में की जाय तो निःसन्देह हमारी प्राथमिक शिक्षा समुन्नत दशा में पहुँच सकती है तथा एक समृद्ध एवं शक्तिशाली व्यक्ति तथा समाज एवं राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। अतः इस दृष्टि से भी गांधी एवं बधेका के शिक्षा दर्शन की आज अत्यधिक प्रासंगिकता है।

आज के बालक कल के भावी नागरिक है। अतः बालकों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा बन्धुत्व की भावना का विकास किया जाना अवश्यक है। परन्तु आज के बालकों में इसके विपरीत स्थिति देखने को मिलती है। प्रायः छात्रों में अनैतिकता, पढ़ाई में अरूचि, अराजकता तथा अनुशासनहीनता आदि दुर्गुणों का विकास हो रहा है। निश्चित रूप से छात्रों के इन दोषों कोप्राथमिक स्तर से ही सुधारा जाना चहिए। गांधीजी विद्यार्थी वर्ग में बढ़ती हुई अराजकता से दुःखी रहते थे। महात्मा गांधी प्राचीन गुरुकुल आश्रमों की भाँति विद्यार्थी को विद्याभ्यास के लिए ब्रह्मचारी होना आवश्यक मानते थे। वे विद्यार्थियों में सादगी जैसी गुणों की आदत डालने के पक्षधर थे। वे विद्यार्थियों में स्वावलम्बन की भावना एवं श्रम के महत्व पर विशेष बल देते थे। उनका मानना थ कि विद्यार्थियों को अपना काम स्वयं करना चाहिए। गांधी एवं बधेका बालक के सर्वांगीण विकास के पक्षधर थे। उनके अनुसार विद्यार्थी में – शारीरिक बल, चारित्रिक बल, आत्मबल और बौद्धिक बल होना चाहिए। तभी वे स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। उनका मानना था कि विद्यार्थियों में शिक्षा द्वारा संयम, अनुशासन, चरित्र, विनय, समाज सेवा, देश प्रेम, स्वावलम्बन, अहिंसा तथा सत्याचरण जैसे गुणों का विकास होना चाहिए। गांधीजी विद्यार्थियों के स्वालम्बी तथा आत्मनिर्भर देखना चाहते थे इसलिए वे बेसिक शिक्षा में बुनियादी शिल्प को शिक्षा का केन्द्र बिन्दु मानते थे। गांधीजी विद्यार्थियों को "सादा जीवन उच्च विचार" के आदर्श पर ढ़ालना चाहते थे जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज 21वीं सदी के भटके हुए छात्रों को गांधी एवं बधेका के उपरोक्त विचार निःसन्देह एक समग्र विकसित दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज 21वीं सदी के प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में पुस्तकीय तथा रटने के ज्ञान की अधिकता होने के कारण छात्र हमेशा परीक्षा तथा मूल्यांकन के भय से तनाव ग्रस्त है। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा में लिखित तथा मौखिक दोनों प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। गांधी एवं बधेका प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षा तथा मूल्यांकन के सदैव विरोधी रहे। महात्मा गांधी "बुनियादी शिक्षा" में बालकों को स्वावलम्बी बनाना चाहते थे और इसके लिए वे शिक्षा को किसी क्रिया द्वारा जोड़ना चाहते थे। जिसका समर्थन बधेका ने भी किया।

Scanned with Oken Scanner

जबकि आजकल सारी शिक्षा व्यवस्था मूल्यांकन पर आधारित है ऐसे में बालकों का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के परीक्षा तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विचारों से बालक पाठ्य–पुस्तकों के गुलाम बन जाते हैं जिससे उनकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। इस सम्बन्ध में भी गांधी एवं बधेका सम्बन्धी विचार आज, कल से अधिक प्रासंगिक है। निश्चित रूप से बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु प्राथमिक स्तर पर उन्हें परीक्षा तथा मूल्यांकन से अलग रखकर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना आवश्यक हो गया है।

आज की प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन में केन्द्रीयकरण की प्रबलता है। प्रशासन में सदा ही तानाशाही प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं जो कि प्राथमिक शिक्षा के विकास को अवरूद्ध कर देती है। प्रायः विद्यालयों पर सरकार तथा प्रशासन दोनों का अनापेक्षित नियंत्रण दिखाई देता है। इसी प्रकार राजनीति भी शिक्षा को प्रभावित करती है। यथा–सरकारों के बदलने के साथ–साथ शिक्षा व्यवस्था भी बदल जाती है जबकि होना यह चाहिए कि शिक्षा का एक राष्ट्रीय स्वरूप एवं लक्ष्य हो न कि सरकारों के अनुरूप। उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन को महात्मा गांधी के शैक्षिक प्रशसन से दूर किया जा सकता है। महात्मा गांधी के शैक्षिक प्रशासन का आधार प्राचीन गुरूकुल प्रणाली जैसी थी। जहाँ नियम एवं कार्य प्रणाली की जटिलता न होकर सरल एवं सहज ढंग से शिक्षण गतिविधि चलती थी। शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी विचार के विषय में वे लिखते हैं कि – "आश्रम में नौकर तो थे ही नहीं, सफाई से लेकर भोजन तक का कार्य आश्रम वासियों को ही करना पड़ता था।" आज महात्मा गांधी के ये विचार अत्यन्त ही प्रासंगिक है। राजनीति और शिक्षा के सम्बन्ध में गांधी जी कहते हैं कि – शिक्षा को राजनीति से निश्चित रूप से दूर रखा जाना चाहिए।

आज पूरा राष्ट्र अनुशासनहीनता से ग्रसित है। समूचे देश में भ्रष्टाचार बेरोजगारी, बेईमानी, अनैतिकता आदि दोष व्याप्त है। इन दुर्गुणों के चलते विद्यार्थी वर्ग में अनैतिकता, अनुशासनहीनता, चारित्रक गिरावट आदि भावनाओं का उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। जो 21वीं सदी की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती के रूप में सामने खड़ी है। इस अनुशासनहीनता के वृक्ष को बढ़ने से रोकना आवश्यक हो गया है क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज का निर्माण सम्भव नहीं। अतः आज यह आवश्यक है कि हम ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें जो बालकों में चारित्रक, नैतिक, सामाजिक, वैयक्तिक तथा राष्ट्रीय गुणों का विकास कर सकें। उपरोक्त गुणों का विकास निःसन्देह गांधी एवं बधेका के शिक्षा–दर्शन द्वारा ही सम्भव है। गांधी एवं बधेका बालकों की स्वतंत्रता के समर्थक थे, परन्तु वे ऐसी स्वतंत्रता का समर्थन करते थे जो अनुशासन के अधीन हो, इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि– "सर्वोच्च ढंग की स्वतंत्रता के साथ अधिकाधिक अनुशासन व नम्रता लगा हुआ है।" जो आजादी अनुशासन और नम्रता से आती है उसे छीना नहीं जा सकता। आगे वे कहते हैं कि – "बिना नियम पालन व अनुशासन के तो कोई भी स्कूल चल ही नहीं सकता, लेकिन विद्यार्थियों के सर्वतोमुखी विकास पर जो कृत्रिम अंकुश लगाया जाता है उसका नियम पालन और अनुशासन से कोई सम्बन्ध नहीं है। महात्मा गांधी जी बच्चों को कभी भी शारीरिक दण्ड नहीं देना चाहते थे। अगर शिक्षकों को छात्रों से अपनी बात मनवानी हो तो वह स्वयं को दण्ड देकर तथा अनुशासित रखकर उनको नियंत्रण एंव अनुशासन में रख सकते हैं। अहिंसा की इस दिव्य मूर्ति का शारीरिक दण्ड का विरोध करना स्वाभाविक ही है। गांधी एवं बधेका नैतिक एवं प्रेरणात्मक अनुशासन के पक्षपाती थे। वे हर प्रकार की स्वाधीनता की सुरक्षा के लिए अनुशासन की आवश्यकता अनन्त गुनी अधिक मानते थे। गांधीजी के अनुशासन सम्बन्धी इन विचारों को आज की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में बढ़ रही अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए लागू किया जाना अत्यन्त ही समीचीन प्रतीत होता है।

विद्यालय शिक्षण का महत्वपूर्ण केन्द्र होता है। लेकिन आज की परिस्थिति में विद्यालय विद्यार्जन की दृष्टि को ध्यान में रखकर कम, धनार्जन की दृष्टि को ध्यान में रखकर अधिक खोले जा रहे हैं। आए दिन हर गली, चौराहे तथा किराये के भवनों में प्रायः मान्टेसरी एवं नर्सरी स्कूल खुल रहे हैं, जिनमें न शुद्ध वायु पहुँच पाती है और न ही रोशनी। इन विद्यालयों का एक मात्र उद्देश्य अधिक से अधिक धन उगाही करना होता है। अभिभावकों तथा छात्रों को लुभाने के लिए उच्च कोटि के यूनिफार्म की व्यवस्थातो रहती है। परन्तु वहाँ पर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने वाले न खेल के मैदान होते हैं और न ही धूप तथा हवा

Scanned with Oken Scanner

एवं शुद्ध पर्यावरण। ऐसे विद्यालयों में बच्चों का सर्वांगीण विकास सम्भव नही है। गांधी एवं बधेका विद्यालयों की स्थापना शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थापित करना चाहते थेऋ जहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके। उन विद्यालयों में खेल के मैदान, खुली हवा तथा रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक थी। गांधी जी के फीनिक्स आश्रम टालस्टाय फर्म एवं बधेका के बाल मन्दिर इत्यादि ऐसे ही विद्यालय थे जहाँ पर बालकों के सर्वांगीण विकास का पर्याप्त ध्यान रखा जाता था। इस प्रकार महात्मा गांधी एवं बधेका की विद्यालय की संकल्पना प्राचीन गुरुकुल प्रणाली या आश्रमों जैसी थी। जो आज भी दिन ब दिन खोल रहे विद्यालयों को एक दृष्टि प्रदान करते हैं।

आज की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में व्यवसाय परक शिक्षा का पूर्णतया अभाव है। व्यवसाय परक शिक्षा के अभाव में शिक्षा का कोई महत्व हीं नहीं दिखाई देता क्योंकि अभिभावक सोचते हैं कि पढ़–लिखकर बच्चे क्या करेंगे जिससे पढ़ाई छोड़कर बच्चे बाल–श्रम में लग जाते हैं। जो पढ़ाई पूरी कर लेते हैं वह बेकारी की समस्याओं से जूझते हुए अन्य अराजक कार्यों में लिप्त तथा अनैतिक हो जाते हैं। इस समस्याका समाधान निःसन्देह गांधीजी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा से किया जा सकता है। गांधीजी की बुनियादी शिक्षा में स्वावलम्बन पर बल दिया जाता है। प्राथमिक तालीम प्राप्त करने के बाद बालक स्वतः ही किसी ने किसी कार्य में लग जाते हैं जिससे उनकी आजीविका भी चल जाती है और ग्रामीण दस्तकारी को भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार पढ़ाई पूरी करने के बाद बालकों को दर–दर नौकरी पेशे के लिए नहीं भटकना पड़ता है। बालक को शुरू से ही उसे किसी उपयुक्त दस्तकारी में जुड़े रहने से उनके अन्दर काम करने की भावना तो विकसित होती ही है साथ ही बच्चे स्वयं क्रिया करके अधिक से अधिक सीखते भी है। अतः गांधीजी की बुनियादी शिक्षा 21वीं सदी की सबसे ज्वलन्त बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हो सकती है। 21वीं सदी की प्राथमिक शिक्षा में अभिभावकों तथा महिलाओं की अशिक्षा भी एक चुनौती है। अशिक्षित अभिभावक अपने बालकों को स्कूल भेजते ही नहीं। वे स्वयं तो शिक्षा का अर्थ समझते ही नहीं हैं अपने बालकों को भी अभिप्रेरित नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त आज भी प्राथमिक विद्यालयों में लड़कों के नामांकन की अपेक्षा लड़कियों की नामांकन संख्या कम है। जिसका कारण माँ–बाप का यह समझना है कि लड़की की शिक्षा का लाभ ससुराल वाले उठाते हैं तो फिर लड़कियों को पढ़ाने की क्या आवश्यकता? यह नामांकन संख्या अनुसूचित जाति एवं जन–जाति तथा दलित जातियों में और भी अधिक है। जबकि महात्मा गांधी अपने शिक्षा दर्शन में जन–शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के जरिए समाज के सभी वर्गों को शिक्षित करना चाहते थे। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि समाज के हर वर्ग ;सर्वोदयद्ध का उदय हो चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो। इस प्रकार गांधी जी ;समाज के अंतिम व्यक्तिद्ध तक का उदय शिक्षा द्वारा करना चाहते थे। बधेका ने भी स्त्री, लड़के एवं लड़कियों की शिक्षा में भेद–भाव को मिटाने पर बल दिया। गांधीजी स्त्री–शिक्षा के भी सदैव हिमायती रहे। उनके अनुसार लड़कियों की शिक्षा विशिष्ट प्रकार से दी जानी चाहिए क्योंकि घर का सारा दायित्व उन्हीं के ऊपर होता है और वह परिवार, समाज तथा राष्ट्र की केन्द्र बिन्दु होती है। निश्चित रूप से देश की आधी आबादी के रूप में विद्यमान नारी को शत–प्रतिशत शिक्षित किए बिना समाज और राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है। साथ ही जब तक अभिभावकों की उदासीनता समाप्त कर उनमें जागरूकता का भाव उत्पन्न नहीं किया जाता तब तक निरक्षरता को समाप्त करना सम्भव नहीं। 21वीं सदी की प्रमुख चुनौती के रूप में विद्यमान निरक्षरता को समाप्त करने हेतु महात्मा गांधी एवं गिजुभाई बधेका आज भी पूर्णतया प्रासंगिक हैं।

21वीं सदी में पर्यावरण प्रदूषण सिर्फ हमारे छात्रों या विद्यालयों को ही नहीं प्रभावित कर रहा है, अपितु पूरे राष्ट्र में पर्यावरण की समस्या व्याप्त है। वृक्षों की दिन रात कटाई, आवागमन के साधनों में हो रही निरन्तर वृद्धि तथा अन्यान्य दूसरे घटक जो पर्यावरण में निरन्तर वृद्धि कर रहे हैं, बालकों तथा देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। इस चुनौती का समाधान निश्चित रूप से गांधी एवं बधेका द्वारा बताए गए विचारों से ही हो सकता है। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के चिन्तन का आधार ही मानवीय गरिमा एवं उनके विकास से जुड़े प्रश्न थे। उनके विचार इतने व्यापक थे कि उसमें न केवल मानव अपितु पर्यावरण में पशु, पौधे, वंचित वर्ग ;नारी एवं दलितद्ध मानवीय एवं सांसारिक पीड़ा से युक्त सभी पक्ष आ जाते हैं। गांधी एवं गिजुभाई के उपरोक्त विचार आज की इन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। अतः हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि

Scanned with Oken Scanner

आज के पर्यावरण की समस्या जिससे राष्ट्र के भावी पीढ़ी के प्रभावित होने की पूर्ण सम्भावना है, को समाप्त करने हेतु महात्मा गांधी एवं बधेका के पर्यावरण सम्बन्धी भावना को स्वीकार करना होगा। ऐसे में इस समस्या के समाधान में भी गांधी एवं बधेका की प्रासंगिकता पूर्णतया बनी हुई है।

आज भूमण्डलीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के कारण देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व एक दायरे में सिमटता नजर आ रहा है। ऐसे मेंएक चुनौती है कि हमें अपने देश की परिस्थिति के साथ तो सामंजस्य स्थापित करना ही है साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही प्राथमिक शिक्षा को व्यवस्थित करना होगा जिससे राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृष्य के अनुरूप नागरिकों का निर्माण किया जा सके। अन्यथा हम विकास की दौड़ में पीछे रह जाएगे। जहाँ तक महात्मा गाँधी एवं गिजुभाई बधेका का प्रश्न है वे सदैव "विश्व बन्धुत्व" की भावना के हिमायती रहे। उनका मानना था कि हम किसी राष्ट्र का शोषण करके अपने राष्ट्र को शक्तिशाली कभी नहीं बना सकते इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी एवं बधेका श्रीमद् भागवद्गीता के 'सर्वे भवन्तु सुखिनः" सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चिदुःखगा भवेत्" की भावना से शिक्षा देने की बात करते थे। उनके अनुसार विश्व के सभी देशों में परस्पर बन्धुत्व की भावना होनी चाहिए। गांधी एवं गिजुभाई के ये विचार भी आज के समाज में पूर्णतया प्रासंगिक हैं।

आज समाज में ऊपर से नीचे तक नैतिकता का पतन दृष्टिगोचर हो रहा है। समाज का कोई भी व्यक्ति हो चाहे वह नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो या शिक्षक अथवा आम जनता सबके अन्दर नैतिक पतन आ गया है। ऐसे में बच्चे इस अपवाद से कैसे दूर रह सकते हैं। यदि प्राथमिक स्तर से ही बच्चे अनैतिक हो जाएंगे तो देश का भविष्य अन्धकार मय हो जाएगा। ऐसे में इस चुनौती का समाधान किया जाना आवश्यक है। बालकों के अनैतिक होने के कारण विद्यालयों में धर्म एवं नैतिक शिक्षा का ज्ञान न प्रदान किया जाना है। जबकि महात्मा गांधी हमेशा से धर्म एवं नैतिक शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि धर्म एवं नैतिक शिक्षा के अभाव में बालक या व्यक्ति न तो जी सकता है और न जीता है। महात्मा गांधी जी सत्य तथा अहिंसा के सात्विक ज्ञान को ही सच्चा धर्म मानते थे। महात्मा गांधी के धर्म, नैतिकता एंव मूल्य सम्बन्धी विचार शाश्वत् मूल्यों से अनुप्राणित थे जो मानव गरिमा एवं विकास के लिए समय सीमा से बार न केवल भारत अपितु सम्पूर्ण मानवता के लिए भी उपयोगी है। गिजुभाई बधेका भी अध्यापकों से अपेक्षा रखते थे कि वे बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करे। ऐसे में आज समाज, राष्ट्र व प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर गिरते नैतिकता के स्तर को रोकने के लिए धर्म एवं नैतिकता की शिक्षा आवश्यक प्रतीत होती है। फलतः इस बिन्दु पर ही महात्मा गांधी एवं बधेका का आज की तिथि में भी पूर्ण तथा प्रासंगिक प्रतीत होते हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में अप्रशिक्षित एवं उपेक्षित शिक्षकों की चुनौती भी इस विद्यालयों के विकास में बाधा बनी हुई है। सरकार ग्राम पंचायतों को यह स्वतन्त्रता दे रखी है कि वे प्राथमिक विद्यालयों में अपने गांव से ही "शिक्षा मित्रों" की नियुक्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों में "गुरूजी" की नियुक्ति हो रही है। ये दोनों ही नियुक्तियाँ अप्रशिक्षित शिक्षकों की हो रही है। अतः सरकार को इसके सुधार के लिए यह करना चाहिए कि आज भी बी॰एड॰ प्रशिक्षण प्राप्त बहुसंख्यक युवक–युवतियाँ बेरोजगार हैं उपरोक्त नियुक्तियों के सम्बन्ध में सर्वप्रथम वरीयता इन प्रशिक्षण प्राप्त युवकों को ही मिलना चाहिए, किसी गांव में यदि प्रशिक्षण प्राप्त युवक न मिलते हो तो अप्रशिक्षत युवकों की नियुक्ति की जा सकती है, परन्तु इन अप्रशिक्षित युवकों को सरकार द्वारा धीरे–धीरे प्रशिक्षण की व्यवस्था कर देनी चाहिए। तभी हम प्राथमिक विद्यालयों की इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार उपेक्षित शिक्षकों की भी समस्या है। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वह सम्मान नहीं प्राप्त हो पा रहा है जो अन्य स्कूलों के शिक्षकों को है। इस उपेक्षा के कारण ही प्राथमिक स्कूल के अध्यापक अध्यापन कार्य में रूचि नहीं लेते हैं तथा नये लोग इस अध्यापन कार्य से जुड़ना नहीं चाहते हैं। इन अध्यापकों को उनके सम्मान में वृद्धि के साथ–साथ उनके वेतन आदि में वृद्धि करके प्राथमिक शिक्षा को आकार्षक बनाया जा सकता है। दूसरा सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों का प्राथमिक विद्यालयों में उन्हीं क्षेत्रों में निवास करने वाले पुरूष तथा स्त्रियों की नियुक्ति की जाय तथा उनका वेतन शहरी क्षेत्रों के अध्यापकों की अपेक्षा अधि

Scanned with Oken Scanner

ाक दिया जाय। अध्यापिकाओं के निवास की विशेष सुविधा दी जाय तथा आवश्यक हो तो उनको भत्ता भी दिया जाय। इस प्रकार से हम प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को उचित सम्मान प्रदान करके उपेक्षित शिक्षकों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी प्रकार 21वीं सदी के प्राथमिक विद्यालयों में "विशिष्ट बी0टी0सी0"द्वारा आये शिक्षकों की भी समस्या है। ऐसे शिक्षक उच्च शिक्षा प्राप्त है और इनके मन में अपने व्यवसाय के प्रति व्याप्त असन्तोष प्राथमिक शिक्षा के लिए समस्या बन सकती है। ऐसे में राष्ट्र तथा समाज को यह भी ध्यान रखना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में न करके इन्हें उच्च शिक्षा में ही भेजे और इनमें से कुछ मध्यम शिक्षा प्राप्त लोगों को ही प्राथमिक शिक्षा में भेजा जाय, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा का समुचित विकास हो सके।

प्राथमिक विद्यालयों में जर्जर हुए विद्यालयों तथा भवनों की दशा भी एक चुनौती के रूप में है जिसका समाधान किया जाना आवश्यक है। विद्यालयों की जर्जर दशा को सुधारने के लिए काफी धन की आवश्यकता पड़ेगी जिसको तुरन्त पूरा नहीं किया जा सकता है ऐसे में सरकार भवनों की चुनौती का समाधान निम्नलिखित प्रकार से कर सकती है।

1. विद्यालय भवनों के लिए ऐसे मन्दिरों, मस्जिदों, सरायों, धर्मशालाओं और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्थानों का चुनाव किया जाय जहाँ छात्रों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान की जा सके। वैदिक काल तथा मुस्लिम–युग में इसी प्रकार के प्राथमिक विद्यालय होते थे। चीन में तो अब की तरह के विद्यालय चलाये जा रहे हैं।

2. पारी विधि ;दो पालीद्ध का प्रयोग करके भी विद्यालय भवनों की समस्या को सुलझाया जा सकता है। इस तरह से एक ही विद्यालय–भवन का मध्यान्ह से पूर्व एवं मध्यान्ह के उपरान्त विविध कक्षाओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। फ्रांस, जापान, जर्मनी, पुर्तगाल, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि विश्व के अनेक देशों में शिक्षा प्रसार के प्रारम्भिक चरणों में इसी विधि का प्रयोग किया था। चीन, लंका, मिस्र, टर्की, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया आदि देशों में आज भी यह विधि प्रचलित है। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप विद्यालय भवनों का निर्माण एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिनका आंशिक समाधान उपरोक्त विचारों द्वारा किया जा सकता है।

प्राथमिक विद्यालयों में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या आज भी एक चुनौती बनी है जिससे प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल करना असम्भव सा होता जा रहा है।आज भी कक्षा 01 से 05 पर अपव्यय की मात्रा लड़कों में लगभग 65 प्रतिशत और लड़कियों में लगभग 62 प्रतिशत है। इसी तरह अवरोधन की मात्रा कक्षा 1 में लड़कों पर 40.3 प्रतिशत और लड़कियों पर 47.1 प्रतिशत है। अतः इस समस्या को रोकने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना आवश्यक है। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को कुछ हद तक शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यवसाय परक बनाकर सुधारा जा सकता है क्योंकि अधिकांश बच्चे तो आर्थिक एवं जीविकोपार्जन के लिए ही पढ़ाई छोड़कर मजदूरी में लग जाते हैं। उनका मानना है कि प्राथमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने से नौकरी तो मिलनी नहीं है और शिक्षा भी ऐसी नहीं कि पूरी करने के बाद छात्र किसी व्यवसाय को अपना सके। ऐसे में गांधी जी की बुनियादी शिक्षा एवं गिजुभाई की कला–कारीगरी की शिक्षा आज अत्यन्त ही प्रासंगिक लगती है। जिसमें बच्चों को शुरू से ही किसी स्थानीय दस्तकारी की शिक्षा दी जाती है।बालक प्राथमिक शिक्षा को पूरी करके निश्चित रूप से किसी न किसी दस्तकारी या व्यवसाय में सिद्ध हस्त हो जाता है जिससे उसकी आजीविका आसानी से चल जाती है तथा बेरोजगारी की ज्वलन्त समस्या का भी समाधान हो जाता है। इसके अतिरिक्त अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को रोकने के लिए प्राथमिक शिक्षा की परीक्षा प्रणाली में, शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालय के अन्दर और बाहर के वातावरण में, अभिभावकों की शिक्षा में, सुधार करना आवश्यक होगा तभी हम इस चुनौती का समुचित समाधान कर सकेंगे।

आज निचले स्तर की शिक्षा में दोहरी शिक्षा व्यवस्था लागूहै। एक तरफ पाश्चात्य जगत से प्रभावित कानवेन्ट, मोंटेन्सरी स्कूल है जहाँ पाश्चात्य साजो सज्जा एवं संसाधन से युक्त विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो दूसरी तरफ ऐसे प्राथमिक विद्यालय है जिनमें न्यूनतम् आवश्यक शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ये कान्वेन्ट तथा मोंटेसरी विद्यालय भी प्राथमिक विद्यालयों के समक्ष एक चुनौती बनते जा रहे हें। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के तौर पर अधिकाधिक लाभार्जन के उद्देश्य से चलाये जा

Scanned with Oken Scanner

रहे कानवेन्ट तथा नर्सरी विद्यालयों द्वारा बटोरे जा रहे विकास, भवन और शिक्षण आदि शुल्कों के नाम पर अनियंत्रित धन वसूली भी निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में बाधक रही है और समय–समय पर समाज द्वारा इन विद्यालयों के अस्तित्व व वर्चस्व पर प्रश्नचिन्ह लगाए जाते रहे हैं। हालांकि वर्तमान खुली अर्थव्यवस्था में इनका बन्द किया जाना तो उपयुक्त नहीं कहा जा सकता लेकिन इन पर कारगर निगरानी एवं नियंत्रण की आवश्यकता है। महात्मा गांधी हमेशा से मातृभाषा में शिक्षा देने के पक्षधर रहे। उनका मानना है कि विदेशी भाषा में शिक्षा देने से बालकों का धन एवं समय दोनों ही बर्बाद होता है। आगे वे कहते हैं– विदेशी माध्यम से हमारे विद्यार्थी दिमागी थकावट के शिकार हुए हैं। उनके ज्ञान तन्तुओं पर अनुचित भार पड़ा है। वे रट्टू व अपनी विद्या को परिवार अथवा जन–साधारण तक पहुँचाने में असमर्थ हो गये हैं। विदेशी माध्यम ने हमारी देशी भाषाओं के विकास को रोक दिया है। इस प्रकार गांधी जी विदेशी माध्यम की शिक्षा को तुरन्त रोकना चाहते थे, चाहे उससे थोड़ी देर के लिए शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था ही क्यों न फैल जाय। इस प्रकार गांधीजी मातृभाषा को ही शिक्षा का आधार बनाना चाहते थे जो आज 21वीं सदी की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने तथा गली मुहल्ले तथा हर चौराहे–चौराहे पर खोले जा रहे कान्वेन्ट स्कूलों का रोकने के लिए अत्यन्त ही प्रासंगिक है।

विद्यालयों में आर्थिक अभाव के कारण जनसंख्या के अनुरूप संसाधनों का उपलबध न होना एक चुनौती बना है। राष्ट्र अपनी आर्थिक जर्जर स्थिति के कारण विद्यालयों पर उतना अधिक धन नहीं व्यय कर पाता जितना कि अमेरिका रूस, चीन, तथा ब्रिटेन आदि देश व्यय करते हैं इस समस्या का समाधान सरकार अपनी सारी योजनाओं में थोड़ी–थोड़ी बचत करके शिक्षा पर किए जा रहे व्यय को बढ़ा सकती है। इसी प्रकार वर्तमान समय में सरकार प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों पर 1:5 के अनुपात में व्यय करती है जिसे सरकार जन–शिक्षा की गम्भीरता को ध्यान में रखकर 5 : 1 कर सकती है। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा के धनाभाव को दूर करने के लिए जन–सहयोग भी लिया जाना चाहिए। जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके।

विद्यालयों में पर्वतीय, रोगिस्तानी तथा आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के सामने प्राकृतिक कठिनाइयाँ यह है कि यहाँ गाँव दूर–दूर पर स्थित है, जो है वहाँ हर गांव में स्कूल नहीं है और जहाँ है भी दूर–दराज होने के कारण शिक्षक व शिक्षार्थी वहाँ जाना नहीं चाहते जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में एक समस्या बनी हुई है। इस समस्या का समाधान करने के लिए ऐसे पहाड़ी, रेगिस्तानी तथा दुर्गम इलाकों में बालकों की सुविधा के लिए प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना आवश्यक होगा जहाँ बालक आसानी से स्कूल पहुँच सकें। सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है लेकिन अभी भी यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है जिसे पूरा किया जाना आवश्यकहोगा। इसके अतिरक्त जब तक प्राथमिक विद्यालयों की उपर्युक्त योजना पूरी न हो जाय तब तक ऐसे क्षेत्रों के जिन गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं वहाँ गाँव बच्चों के शिक्षा का भार सरकार द्वारा किसी स्थानीय सुशिक्षित व्यक्ति को सौंप दिया जाना चाहिए जिससे समस्या का तात्कालिक हल निकाला जा सके।

भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में बढ़ती हुई जनसंख्या भारी अवरोध उत्पन्न कर रही है। बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप सरकार संसाधनों को जुटा नहीं पाती है। आज भारत की कुल जनसंख्या 14,70,15,224 हो गई है। इतनी जनसंख्या को शिक्षित करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। इस चुनौती के लिए समाधान के लिए सर्वप्रथम सरकार का कर्तव्य तो यह होना चाहिए कि जनसंख्या में हो रही निरन्तर वृद्धि को रोकें तत्पश्चात् इन बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप संसाधन, विद्यालय भवन, इत्यादि को उपलब्ध कराना होगा तभी इस चुनौती का समाधान किया जा सकता है।

आज हमारे समाज के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का न होना शिक्षा को प्रभावित करती है। अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के बजाय मजदूरी पर भेजना अधिक पसन्द करते हैं जिनसे उनकी रोजी–रोटी चल सके। ऐसी स्थिति में सरकार का यह आवश्यक दायित्व बन जाता है कि वह समाज में शिक्षा का अत्यधिक प्रचार–प्रसार करके अभिभावकों को अभिप्रेरित करे जिससे अभिभावाकों तथा बच्चों दोनों में स्वतः स्कूल भेजने, तथा जाने की इच्छा उत्पन्न हो। स्वतः इच्छा उत्पन्न होने से ही विद्यालयों में शत–प्रतिशत नामांकन सम्भव हो सकता है तथा समाज में शिक्षा की मांग का उत्पन्न न होना जैसी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

Scanned with Oken Scanner

शिक्षा कोसर्वसुलभ बनाने के लिए सरकार तरह–तरह के प्रयास कर रही है जिससे शत–प्रतिशत नामांकन सम्भव हो सके। इसी प्रयास के तहत सरकार अनौचारिक शिक्षा भी चलाती रही है। परन्तु अनौपचारिक शिक्षा के प्रति समाज की सोच ठीक नहीं है। उनका मानना है कि निरौपचारिक शिक्षा विद्यालयी शिक्षा का उपयुक्त विकल्प नहीं हो सकती। ऐसी सोच प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में बाधा बनी हुई है। इस समस्या को सुलझाने के लिए निरौपचारिक शिक्षा के प्रति समाज में उपयुक्त सोच उत्पन्नकरना आवश्यक होगा अन्यथा सरकार द्वारा निरौपचारिक शिक्षा पर कियाजाने वाला व्यय एवं समय दोनों ही बेकार चला जाएगा।

दैनिक जागरण समाचार पत्र के अनुसार भारत में जितने भी इन्जीनियर प्रतिवर्ष निकल रहे हैं उसके मात्र 18 प्रतिशत ही जाब पा रहे हैं या योग्यताधारी हैं। जबकि महात्मा गाँधी एवं गिजुभाई बधेका दोनों ने गुणवत्तापरक शिक्षा की बात की है, अतः इस दृष्टि से भी इनके विचार प्रासंगिक हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि 21वीं सदी की शिक्षा की विसंगतियों को दूर करने के लिए महात्मा गांधी एवं गिजुभाई द्वारा बताये गये प्राथमिक शिक्षा के मार्गों को अपनाया जाना आवश्यक है।

सन्दर्भ–

1. अदावल, सुबोध एवं माधवेन्द्र उनियाल (1974): भारतीय शिक्षा की समस्याएँ एवं प्रवृत्तियाँ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
2. काणे पी॰वी॰ (1970): धर्मशास्त्र का इतिहास, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ग्रन्थ अकादमी
3. दूबे एम॰सी॰ नन्द (1964): बुनियादी शिक्षा और नवीन सामाजिक व्यवस्था, दिल्ली, राष्ट्रीय बुनियाद संस्थान
4. द्विवेदी कमला (1986): गाँधी जी का शिक्षा दर्शन, नई दिल्ली, श्री पब्लिशिंग हाऊस
5. पाठक भरत लाल (1964): गिजुभाई का शिक्षा में योगदान, बीकानेर, सुरजीत प्रकाशन
6. पचौरी गिरीश (2008): विश्व के महान शिक्षाशास्त्री, मेरठ, इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस
7. मुखर्जी आर॰के॰ (1970): एनासियेन्ट इण्डिया ऑफ एजूकेशन, बनारस, बनारसी दास एण्ड सन्स
8. लाल, रमन बिहारी (2004): भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ, मेरठ, रस्तोगी पब्लिकेशन
9. बाजपेयी एल॰बी॰ (1994): भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामाजिक समस्याएँ लखनऊ, आलोक प्रकाशन
10. सोनी रामनरेश (2012): गिजुभाई का प्राथमिक विद्यालय में कला कारीगरी की शिक्षा, बीकानेर, सांवला प्रिन्टर्स
11. सोनी रामनरेश (2012): मांटेसरी –पद्धति (गिजुभाई), बीकानेर, सांवला प्रिन्टर्स
12. सहगल स्वाति एवं पटेल दिव्यांशु (1964): गाँधी, अम्बेडकर, लोहिया की दृष्टि में भारतीय समाज में शिक्षा और ममता की अवधारणा परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूया), नई दिल्ली, वर्ष 23 अंक–2 अगस्त
13. सिंह ऊषा (2002): 21वीं सदी की प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियों के समाधान में गाँधी शिक्षा दर्शन का योगदान, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध शिक्षाशास्त्र, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर
14. शुक्ला अमिता एवं सिरोला देवकी (2016–17): गिजुभाई एवं जे॰ कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन, शिक्षा कलश, सुल्तानपुर वर्ष 8 अंक–2 एवं वर्ष 9 अंक–1

Scanned with Oken Scanner

विमला शिक्षा एवं सेवा समिति

नेवादा-बल्दीराय, सुल्तानपुर, उ०प्र०

Scanned with Oken Scanner